जनपद बिजनौर **दिनांक- 02.07.2024**

दिनांक 29.06.2024 को पुलिस लाइन बिजनौर के परेड ग्राउंड में आयोजित 03 नये कानूनों की आयोजित परीक्षा के परीक्षाफल के संबंध में।

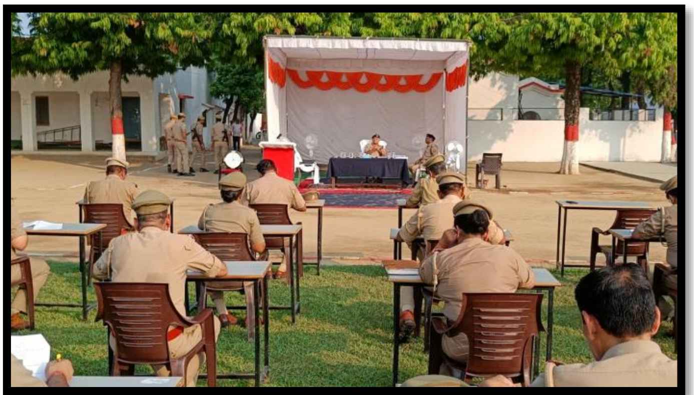

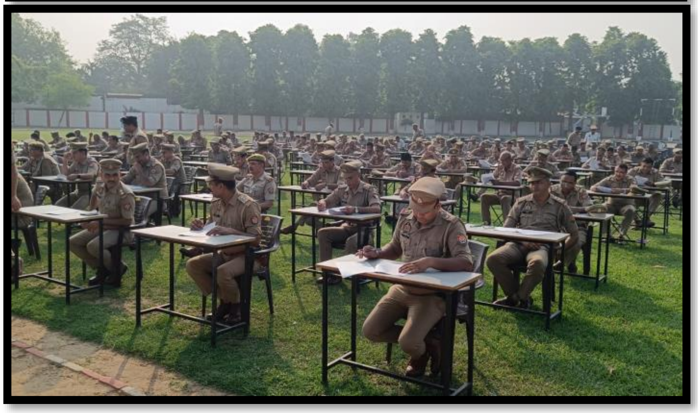

अवगत कराना है कि दिनांक 29.06.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में पुलिस लाइन बिजनौर के परेड ग्राउड में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 एंव भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 को लागू किये जाने के संबंध में प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा आयोजित की गयी, जिसमें प्रत्येक थाना प्रभारी/शाखाओं में कार्यरत कुल 143 निरीक्षक/उ0नि0 द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 29.06.2024 को आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त 143 परीक्षार्थीयों (निरीक्षक/उ0नि0) की कॉपी को चेक किया गया तो जिसमें उ0नि0 श्री नितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद को प्रथम स्थान, उ0नि0 भारत सिंह थाना नजीबाबाद को द्वितीय स्थान व उ0नि0 मौ0 कय्यूम थाना नजीबाबाद को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा उपरोक्त परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

साथ ही अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में दिनांक 01.07.2024 से 03 नये कानून लागू हो जाने के दृष्टिगत जनपद के आमजन तक तीनो कानूनो के संबंध में जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से बिजनौर पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थानों पर जनपद के जनप्रतिनिधि, गणमान्य व क्षेत्रीय संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर तीनो कानूनों के संबंध में जागरुकता/प्रचार प्रसार भी किया गया।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 02.07.2024**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 196/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस0 से संबंधित अभियुक्त को पुलिस हिरासत मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.07.2024 को वादिनी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त आकाश पुत्र सुरेश निवासी मौहल्ला रामलीला कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच करते हुए वादिनी को गैस के चूल्हे से जलाने का प्रयास किया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 196/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस0 बनाम आकाश उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आकाश पुत्र सुरेश निवासी मौहल्ला रामलीला कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को पुलिस हिरासत मे लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पताः-

आकाश पुत्र सुरेश निवासी मौहल्ला रामलीला कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना **दिनांक- 02.07.2024**

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 140/24 धारा 380/411 भादवि से संबंधित दो अभियुक्तो को चोरी किये गए एक मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.05.2024 को वादी श्री रिजवान उस्मान अंसारी पुत्र स्व0 मौ0 उस्मान निवासी ग्राम हरगांव चांदन थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाइल फोन (सैंमसंग ग्लेक्सी जेड फोल्ड फोर) जिसकी कीमत 1,55,000/- रूपये है, को चोरी कर लिया गया। वादी की तहरीर पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 140/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.सौरभ पुत्र जोगिन्दर निवासी ग्राम महमूदपुर भावता थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 2. सोमपाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम ठकौला थाना नहटौर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.सौरभ पुत्र जोगिन्दर निवासी ग्राम महमूदपुर भावता थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 2.सोमपाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम ठकौला थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त अभियोग से संबंधित एक मोबाइल फोन (सैंमसंग ग्लेक्सी जेड फोल्ड फोर) बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.सौरभ पुत्र जोगिन्दर निवासी ग्राम महमूदपुर भावता थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

2.सोमपाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम ठकौला थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक मोबाइल फोन (सैंमसंग ग्लेक्सी जेड फोल्ड फोर)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सरवेज खां थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. है0कां0 730 विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. कां0 2512 भूपेन्द्र सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना **दिनांक- 02.07.2024**

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 173/2024 धारा 363 भादवि व 17/18 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.06.2024 को वादी द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को अभियुक्त नाजिम पुत्र फय्याज निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर बहला फुसलाकर ले गया । तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 173/2024 धारा 363 भादवि बनाम नाजिम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्माक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में 17/18 पॉक्सो एक्ट की वृध्दि की गई। पुलिस द्वारा अपहृर्ता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.07.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नाजिम पुत्र फय्याज निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नाजिम पुत्र फय्याज निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.आरक्षी 1739 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनांक- 02.07.2024**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 187/2024 धारा 498ए/307/323/324/325/504/506 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10/4/2024 को वादिनी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादिनी की पुत्री को ससुरालवालों द्वारा दहेज की मांग करना तथा मांग पूरी न होने पर वादिनी की पुत्री के साथ गाली गलौच करना तथा मारपीट करना व उसके पति जिशान द्वारा तलाक देने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0स 187/2024 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1. जिशान 2.फिरोज 3.मुस्तकीमा 4.फरमान 5.गुलजार 6.मुस्कान व 7.मोहसिन उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 307/324/325 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.07.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1.फरमान पुत्र फिरोज निवासी मौहल्ला बुध्दपाडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2. गुलजार पुत्र फिरोज निवासी मौ0 बुध्दपाडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.फरमान पुत्र फिरोज निवासी मौहल्ला बुध्दपाडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. गुलजार पुत्र फिरोज निवासी मौ0 बुध्दपाडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थाना प्रभारी तेजपाल सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 योगेश मावी थाना किरतपुर बिजनौर
3. हे0का0 414 रूपक मलिक थाना किरतपुर बिजनौर
4. का0 1120 राहुल चौधरी थाना किरतपुर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नांगल **दिनांक- 02.07.2024**

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 122/24 धारा 76, 351(2) बीएनएस0 व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.07.2024 को वादी द्वारा थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोनी पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर व उसके साथी बाल अपचारी द्वारा वादी की बेटी के साथ छेडखानी की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 122/24 धारा 76,351(2) बीएनएस0 व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 122/24 धारा 76,351(2) बीएनएस0 व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारी का विवरण -

एक बाल अपचारी (पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।)

पुलिस पुलिस टीम –

1-उ0नि0 योगेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी सोनू कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा **दिनांक- 02.07.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.07.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त धर्मवीर पुत्र चन्दन निवासी ग्राम अलियारपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

धर्मवीर पुत्र चन्दन निवासी ग्राम अलियारपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुनील कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. का0 1058 अमित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ　　　　**दिनांक – 02.07.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 214/2024 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.06.2024 को वादी श्री मुकीम अहमद पुत्र हिमायतुल्ला निवासी मौ0 नेजो सराय थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों 1. शमीम अहमद पुत्र हिमायतुल्ला 2.शमीमा पत्नी शमीम अहमद 3.अनश पुत्र शमीम अहमद 4.मुबशरी पत्नी नसीम अहमद समस्त निवासीगण मौहल्ला नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए, लाठी-डन्डों से वार कर उन्हें घायल कर दिया गया। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 214/2024 धारा 307/504/506 भादवि बनाम शमीम अहमद आदि 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनश पुत्र शमीम अहमद निवासी मौहल्ला नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में शमीम अहमद पुत्र हिमायतुल्ला निवासी मौहल्ला नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनश पुत्र शमीम अहमद निवासी मौहल्ला नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनस उपरोक्त-

1.मु0अ0स0 156/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिनजौर।

2.मु0अ0स0 214/2024 धारा 307/504/506 /325 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 हरवीर सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2. का0 293 राहुल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट- जनपद बिजनौर **दिनांक – 02.07.2024**

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स) पर यातायात पुलिस, जनपद बिजनौर पर लगाये गए आरोपो के खण्डन के संबंध मे।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02.07.2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स) पर एक्स आईडी @Sandeep69286151 द्वारा एक पोस्ट किया गया जिसमे वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन सं0 UP20BM-3141 का गलत तरीके से चालान करने के संबंध में आरोप अंकित किये गए।

पोस्ट के संबंध मे प्रभारी यातायात, जनपद बिजनौर द्वारा जांच कि गई तो यह तथ्य प्रकाश मे आये कि दिनांक 20.06.2024 को हे0का0 284 सुहैल की ड्यूटी कस्बा चांदपुर में यातायात व्यवस्था हेतु लगी थी। ड्यूटी के दौरान वाहन संख्या UP20BM-3141 का चालान वाहन चलाते समय सीट बैल्ट धारण न करने के संबंध मे किया गया जिसका विवरण ई-चालान एप पर चालक की डिटेल के साथ इमेज व रिमार्क इमेज मे भी फोटो अपलोड किया गया। वाहन संख्या UP20BM-3141 का चालान सुसंगत धाराओं मे किया गया है। पोस्टकर्ता/वाहन स्वामी द्वारा ई- चालान एप पर अपने वाहन के चालान का अवलोकन करते समय केवल एक ही इमेज को देखा गया जबकि चालान मे उपरोक्त चालान की तीन इमेज अपलोड की गई थी।

अतः बिजनौर पुलिस उपरोक्त ट्वीटकर्ता/वाहन स्वामी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स) पर पोस्ट कर लगाये गए आरोपो का खण्डन करती है। चालान मे संलग्न समस्त फोटो/इमेज निम्न है। पहली इमेज से स्पष्ट है कि वाहन चालक द्वारा सीट बैल्ट धारण नही की गई है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 02.07.2024**

थाना स्योहारा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम ने ग्राम सिपाहीवाला की घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को 50,000/- रूपये की नकदी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.06.2024 को वादी श्री समीर पुत्र श्री फुरकान निवासी ग्राम सिपाहीवाला थाना स्योहारा ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि रात्रि के समय 02 अज्ञात बदमाश वादी के घर मे घुस गये तथा घर मे रखे सोने व चांदी के जेवरात सहित 75,000/- रूपये की नकदी चोरी कर ले जाने लगे तो वादी के भाई आमिर बदमाशो का विरोध करने लगा तो उक्त दोनो बदमाश वादी के भाई आमिर को घायल कर फरार हो गए । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 283/24 धारा 394 भादवि बनाम दो अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

घटना के तत्समय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डॉग स्कवायड व फॉरेसिंक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया तथा सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त 1.अकरम पुत्र हसीनुद्दीन उर्फ सीनू निवासी मौहल्ला नई बस्ती अहाते वाली गली कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, 2.वसीम गलकट पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 3. अल्ताफ पुत्र मेहताब निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये।

कार्यवाही का विवरण-

जनपद मे अपराध की रोकथाम व चोरी/लूट आदि घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा ऐसी घटनाओं के शीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अकरम पुत्र हसीनुद्दीन उर्फ सीनू निवासी मौहल्ला नई बस्ती अहाते वाली गली कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग से संबंधित 50,000/- रूपये की नकदी (पांच सौ के 100 नोटो की एक गड्डी) सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त अकरम के अन्य दो साथी 1.वसीम गलकट पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 2.अल्ताफ पुत्र मेहताब निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई।

पूछताछ विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अकरम ने बताया कि मै अपने अन्य दो साथी वसीम व अल्ताफ के साथ मिलकर योजना बनाकर आसपास के क्षेत्रों में चोरी/लूट करते है, जो भी माल बरामद होता है उसे आपस मे बांट लेते है तथा हम तीनो साथ में पहले भी जेल जा चुके है।

उपरोक्त अभियोग से संबंधित घटना के बारे मे पूछने पर अभियुक्त अकरम ने बताया कि दिनांक 12.06.2024 की रात्रि में हम तीनों साथी चोरी के उद्देश्य से ग्राम सिपाहीवाला में फुरकान के घर मे घुसे, योजनानुसार आसपास की स्थिति पर नजर रखने के लिये मै घर के बाहर खडा हो गया था। वसीम व अल्ताफ घर से माल चोरी कर बाहर आ रहे थे तो अचानक घर मे सो रहे एक व्यक्ति की आंख खुल गई जिसके द्वारा वसीम व अल्ताफ को पकडने की कोशिश की गई तो वसीम ने अपने पास मौजूद तमंचे से उक्त व्यक्ति पर गोली चला दी। यह सब देखकर मै बहुत डर गया तथा अकेला ही वहां से भाग गया। बाद में वसीम व अल्ताफ भी मुझे मिले तथा उन्होने ग्राम सिपाहीवाला मे घर से मिली नकदी मे से 10,000/- रूपये मुझे दे दिये तथा बाकि सामान व नकदी को बाद में आपस मे बांट लेना तय हुआ। मुझे मिली नकदी को मैने खर्च कर दिया। कुछ समय बाद हम तीनो मिलकर माल का बंटवारा कर रहे थे तो पुलिस ने छापा मारकर मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अकरम पुत्र हसीनुद्दीन उर्फ सीनू निवासी मौहल्ला नई बस्ती अहाते वाली गली कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

50,000/- रूपये की नकदी (पांच सौ के 100 नोटो की एक गड्डी)

अभियुक्त अकरम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 156/04 धारा 302/504/506 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 172/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 691/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 857/08 धारा 379/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 432/23 धारा 323/504/506भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 439/23 धारा 341/323/324/307/506 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 115/18 धारा 307 भादवि वृद्धि धारा 302 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
8. मु0अ0सं0 409/18 धारा 3(1) गैगंस्टर एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
9. मु0अ0सं0 133/18 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
10. मु0अ0सं0 196/17 धारा 395/412 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
11. मु0अ0सं0 201/17 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
12. मु0अ0सं0 219/23 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
13. मु0अ0सं0 287/17 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
14. मु0अ0सं0 162/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
15. मु0अ0सं0 163/17 धारा 380/411 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
16. मु0अ0सं0 165/17 धारा 380 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
17. मु0अ0सं0 169/17 धारा 380/411 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
18. मु0अ0सं0 239/17 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. प्रभारी स्वाट निरीक्षक श्री अमित कुमार मय टीम जनपद बिजनौर।
3. प्रभारी सर्विलासं उ0नि0 श्री जयवीर सिह मय टीम जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 श्री यशपाल सिहं थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
5. हे0का0 524 विपिन कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
6. हे0का0 360 ब्रजपाल सिहं थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
7. का0 2425 अजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
8. का0 1962 रजनीश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

BIJNOR POLICE

थाना साइबर क्राइम, जनपद– बिजनौर

जून – 2024

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर के द्वारा जून – 2024 में 06 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा–धड़ी में कुल 2,74,394/- रुपये वापस कराये गये–

थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क0सं0	थाना	प्रा0पत्र सं0/ मु0अ0सं0	बरामद धनराशि
1	नहटौर	NCRP सं0–06870	73,940/-
2	मंडावर	मु0अ0सं0 – 314/2023	48,120/–
3	कोतवाली शहर	NCRP सं0–08923	19,334/–
4	स्योहारा	NCRP सं0–61349	20,000/–
5	स्योहारा	NCRP सं0–37687	90,000/–
6	स्योहारा	NCRP सं0–40388	23,000/–
कुल योग			**2,74,394/-रुपये**

--